निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 248/2024 (राजस्व अपील)

1. कालूराम पुत्र श्री कल्याण जाति बागडा ब्राह्मण नियासी नन्दावाली ढाणी, ग्राम मंशारामपुरा, तहसील कालवाड, जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती मंगली देवी शर्मा पत्नी भैरू लाल शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी नन्दावाली ढाणी, ग्राम मंशारामपुरा, तहसील कालवाड, जिला जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कालवाड, जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक तृतीय, कार्यालय पता पंचायत समिति झोटवाडा, पंखा काटा, झोटवाडा, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार जयपुर द्वारा राजस्व ग्राम मंशारामपुरा तहसील कालवाड के नामान्तरकरण संख्या 788 पर पारित आदेश दिनांक 06.03.2024

उपस्थित :–

1. श्री पंकज कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री विष्णु कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांक 02.07.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम मंशारामपुरा तहसील कालवाड के नामान्तरकरण संख्या 788 पर तहसीलदार कालवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री विष्णु कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के अधिवक्ता अपील में अंकित तथ्यों का दाहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी के कब्जे काश्त शुदा आराजी वाके ग्राम मंशारामपुरा तहसील कालवाड स्थित खाता संख्या 246 के खसरा नम्बर 431/17 रकबा 0.6200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में से अपीलार्थी द्वारा 2980/6200 हिस्सा भूमि का बेचान प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती मंगली देवी शर्मा पत्नी भैरू लाल को दिनांक 06.03.2024 को किया गया। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय द्वितीय के यहां दिनांक 06.03.2024 को किया गया। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 2 के यहां संचालित आटो म्यूटेशन प्रकिया के तहत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 789 दिनांक 06.03.2024 का विक्रय शुदा भूमि हिस्सा 2980/6200 से

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

ज्यादा अर्थात सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में बिना किसी दस्तावेजी हक अधिकार के विक्रय की गई भूमि से ज्यादा भूमि का अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक कर दिया जो प्रारम्भ से ही निरस्तनीय है। तहसीलदार कालवाड द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को हस्तान्तरण किये गये हिस्से से ज्यादा भूमि का नामान्तकरण ओटो म्यूटेशन प्रकिया के तहत दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस दिये बिना साक्ष्य समर्थन व सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की पूर्व में जानकारी नहीं थी। दिनांक 28.05.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा बेचान से अधिक भूमि का अपीलाधीन नामान्तरकरण के आधार पर भूमि के बेचने की धमकी अपीलार्थी को दी तो अपीलार्थी द्वारा जमाबन्दी एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रति प्राप्त करने पर जानकारी हुई । विलम्ब के लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या एक के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र दिनांक 06.03.2024 के आधार पर विक्रय शुदा भूमि का ही नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में तस्दीक किये जाने के आदेश फरमावे। शेष हिस्सा भूमि अपीलार्थी के नाम यथावत रखी जावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने भी अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का समर्थन करते हुये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जान का समर्थन किया।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. सर्वप्रथम हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थी की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

8. अपीलार्थी द्वारा अपील के समर्थन में प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 06.03.2024 की फोटो प्रति के अवलोकन से यह पाया गया है कि अपीलार्थी रूडमल पुत्र श्री कल्याण के स्वामित्व की खातेदारी भूमि स्थित ग्राम मंशारामपुरा तहसील कालवाड के खाता संख्या 246 आराजी खसरा नम्बर 431/17 में रकबा 0.6200 हैक्टेयर हिस्सा है, जिसमें से अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती मंगली देवी पत्नी श्री भैरूलाल को 2980/6200 हिस्सा का बेचान किया गया है। जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण सम्पूर्ण हिस्से 0.6200 हैक्टेयर का प्रत्यर्थी श्रीमती मंगली देवी के हक में तस्दीक कर दिया गया है जो गलत है। इससे अपीलार्थी अधिवक्ता के कथन की पुष्टि होती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता भी अपीलार्थी अधिवक्ता के कथन से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

9. तहसीलदार कालवाड द्वारा राजस्व ग्राम मंशारामपुरा तहसील कालवाड के अपीलाधीन नामान्तरकण संख्या 788 पर पारित आदेश दिनांक 06.03.2004 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार कालवाड को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी कालूराम पुत्र कल्याण द्वारा

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

दिनांक 26.03.2024 को प्रार्थी संख्या 1 श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री [illegible] के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2024 के अनुसार [illegible] दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति [illegible] कार्यालय को प्रेषित हो । पत्रावली [illegible] होकर दर्ज [illegible] हो।

11. निर्णय [illegible] दिनांक [illegible].07.2024 को [illegible] सुनाया गया।

([illegible])

[illegible]

[illegible]